

**Summary Trial Under Section 263 or 264 of The Criminal
Procedure Code, 1889
In The Court of Chief Judicial Magistrate, Chhatarpur M.P.**

CIS Case No SUM/914/2023

Compliant or report made on 22-10-2023

Name of address of the complainant

म.प्र. राज्य द्वारा थाना-कोतवाली, छतरपुर, जिला-छतरपुर (म0प्र0)

Name , parentage, caste and address of accused

नाम आरोपीगण—(1) अभिषेक पुत्र भागचन्द्र उम्र-21 वर्ष,

(2) दीपेश खटीक पुत्र बालाराम खटीक उम्र-26 वर्ष,

(3) अमन पुत्र प्रकाश खटीक उम्र-27 वर्ष,

(4) रिषभ खटकी पुत्र विनोद खटीक उम्र-19 वर्ष ,

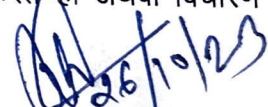
(5) हक्की कुशवाहा पुत्र टन्दू कुशवाहा उम्र-40 वर्ष,

सभी निवासी हृदेश खरे के पीछे खटक्याना मोहल्ला छतरपुर जिला
छतरपुर म.प्र.

The offence complained of, and date of its alleged commission

तुम आरोपीगण ने दिनांक 21.10.2023 से दिनांक 22.10.2023 के समय 23:40 बजे से 00:15 बजे के मध्य स्थान जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का मैदान छतरपुर अन्तर्गत थाना कोतवाली छतरपुर, जिला छतरपुर में हार जीत का दाव लगाते हुये पाये गये।

आप आरोपीगण का कृत्य सार्वजनिक द्यूत अधिनियम 1867 की धारा-13 के अधीन दंडनीय होकर इस न्यायालय के संज्ञान में है। तुम जुर्म स्वीकार करते हो अथवा विचारण चाहते हो।


(Dr. Ravikant Solanki)
C.J.M. Chhatarpur

The plea of the accused and his examination (if any)

रूपराध लोका (हूँ)

अमन दीपेश अभिषेक
रिसव


(Dr. Ravikant Solanki)
C.J.M. Chhatarpur

The offence proved, if any, and in case under clause (d), clause (e) clause (f) or clause (g), of Sub-section (i) section 260, the value of the property in respect of which the offence has been committed.

नि र्ण य

(आज दिनांक 26.10.2023 को घोषित किया)

1. तुम आरोपीगण के विरुद्ध सार्वजनिक द्यूत अधिनियम 1867 की धारा 13 के अंतर्गत आरोप है। उपरोक्त धारा के अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाये जाने पर तुम आरोपीगण ने स्वेच्छया जुर्म स्वीकार किया।
2. स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपीगण को सार्वजनिक द्यूत अधिनियम 1867 की धारा 13 के आरोप में सिद्धदोष ठहराते हुए आरोपीगण को सार्वजनिक द्यूत अधिनियम 1867 की धारा 13 के आरोप में 100-100/-रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। इस प्रकार कुल-400/-रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया जाता है। अर्थदंड की अदायगी के व्यक्तिक्रम में आरोपीगण एक माह का साधारण कारावास भुगतेगा।
3. प्रकरण में जप्तसुदा 3790/-रुपये शासन के पक्ष में राजसात किये जावें एवं 52 तास के पत्ते को नष्ट किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया


(डॉ० रविकान्त सोलंकी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
छतरपुर म.प्र.


(डॉ० रविकान्त सोलंकी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
छतरपुर म.प्र.